प्रतिवेद्य

भारत का उच्चतम न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारिता

दांडिक अपील कमांक 319 / 2019

[विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) कमांक 1837 / 2015 से उद्भूत]

मध्यप्रदेश शासन अपीलार्थी

विरुद्व

सुरेश प्रत्यर्थीगण

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री दिनेश माहेश्वरी

अनुमति प्रदान की गई ।

2 इस अपील में अपीलार्थी–मध्यप्रदेश राज्य ने दांडिक अपील कमांक 260 / 1998 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.11.2012 को चुनौती दी है जिसके द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अभियुक्त (यहॉ प्रत्यर्थी) की भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 304 भाग दो के अधीन दंडनीय अपराध के लिये दोषसिद्वि को

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

कायम रखते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये 3 वर्ष के कठोर कारावास के दंडादेश को उस अवधि में परिवर्तित किया है जो उसके द्वारा पहले से ही भुगती जा चुकी है अर्थात 3 माह एवं 21 दिन ।

3. इस अपील में निर्धारण के लिये एकमात्र प्रश्न यह है कि : कि क्या, दिये गये तथ्यों एवं परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा, विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश को, पूर्व से ही भुगते जा चुके कारावास की अवधि तक कम करते हुए हस्तक्षेप करना न्यायसंगत था ?

4. प्रकरण की पृष्ठभूमि, जो कि हस्तगत प्रश्न से सुसंगत है, निम्नानुसार है : अभियोजन का प्रकरण यह रहा है कि दिनांक 13.05. 96 को लगभग 4:30 बजे प्रत्यर्थी ने अपने पिता तुलसीराम पर बोथरी वस्तु से प्रहार किया जिससे उसके कपाल के पार्श्व भाग पर अस्थिभंग हुआ; और उसी रात, पीड़ित ने बेतूल चिकित्सालय में चोट के कारण दम तोड़ दिया । चिकित्सालय से प्राप्त इस सूचना के आधार पर कि मृतक तुलसीराम को प्रत्यर्थी सुरेश द्वारा अचेत अवस्था में चिकित्सालय लाया गया था, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन मर्ग सूचना क्रमांक 0/30/96 पंजीबद्ध की गई । यद्यपि, असा–3 सवलबाई, असा–6 बसंती बाई, असा–10 सरपंच सुखलाल के कथनों से पाया गया कि प्रत्यर्थी को अपने पिता को मारते हुए देखा गया था, उसे दिनांक 20.05.96 को

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

गिरफ्तार किया गया एवं पुलिस स्टेशन आमला में अपराध क्रमांक 120 / 1996 (प्र. पी–19) में प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध किया गया । उचित अन्वेषण के पश्चात् प्रत्यर्थी के विरुद्ध भादवि की धाराओं 201 एवं 302 के अधीन अपराधों का आरोप पत्र पेश किया गया ।

5. विचारण में अभियोजन ने अन्य बातों के साथ साथ असा–3 सवलबाई के अभिसाक्ष्य पर विश्वास व्यक्त किया जिसने कहा था कि घटना स्थल के समीप खेत में काम करते समय उसने प्रत्यर्थी को अपने पिता पर लाठी से प्रहार करते हुए देखा था । असा–2 बाबूलाल ने कहा कि असा–3 की चिल्लाने की आवाज सुनकर, उसने अभियुक्त को किसी पर प्रहार करते हुए देखा; वह मौके पर पहुॅचा और पाया कि घायल व्यक्ति अभियुक्त का पिता था; एवं उसने अभियुक्त को अपने पिता पर और प्रहार करने से रोका । असा–4 दिनेश उर्फ मथू ने असा–2 एवं असा–3 के साक्ष्य का समर्थन किया । दूसरी ओर, अभियुक्त–प्रत्यर्थी ने यह सुझाव देने का प्रयास किया कि खपरा लगाते समय छत से गिर जाने के कारण उसके पिता को चोट लगी ।

6. साक्ष्य के परिशीलन पर, विचारण न्यायालय ने बचाव वृत्तांत को खारिज किया और इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाया कि प्रत्यर्थी ने प्रश्नगत घातक चोट कारित की थी । यद्यपि विचारण न्यायालय यह

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

अभिनिर्धारित करते हुए अग्रसर हुआ कि अभियुक्त–प्रत्यर्थी का कृत्य हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध है एवं वह भादवि की धारा 304 भाग दो के अधीन दण्डनीय अपराध का दोषी है । विचारण न्यायालय की यह राय थी मृतक के सिर पर क्षति कारित करते समय अभियुक्त–प्रत्यर्थी जानता था कि उसके कृत्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है, किन्तु उसके पास ऐसा कोई आपराधिक आशय नहीं था जैसा कि भादवि की धारा 300 में परिभाषित है और इसलिये वह भादवि की धारा 302 के अधीन हत्या के अपराध का दोषी नहीं था । विचारण न्यायालय ने आगे यह पाया कि अभियुक्त ने स्वयं को विधिक दण्ड से बचाने के लिये पीड़ित की आकस्मिक चोट के बारे में गलत जानकारी प्रदान की और इसलिये वह भादवि की धारा 201 के अधीन अपराध का भी दोषी था । यद्यपि, अभियुक्त का मुख्य अपराध में दोषसिद्ध होने के कारण विचारण न्यायालय ने, **कलावती विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य : एआईआर 1953 सुको 131** में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में, उसे भादवि की धारा 201 के अपराध के लिये दोषसिद्ध नहीं करना चुना ।

7. अभियुक्त–प्रत्यर्थी को भादवि की धारा 304 भाग II के अपराध के लिये दोषसिद्ध करते हुए, विचारण न्यायालय ने उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास का दंडादेश दिए जाने को न्यायसंगत एवं उचित पाया और कहा कि पूर्व में भुगती जा चुकी निरोध

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

की अवधि (20.05.1996 से 09.09.1996) को उस पर अधिरोपित कारावास के विरुद्ध मुजरा की जाये ।

8. अभियुक्त द्वारा की गई अपील में, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ने अपने आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27. 11. 2012 में भादवि की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिये दोषसिद्धि के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखत निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया बल्कि, दंडाज्ञा के प्रश्न पर कठोर कारावास के दंड को तीन वर्ष की अवधि से कम कर उस अवधि के लिये किया जो कि पहले से ही भुगती जा चुकी थी अर्थात 3 माह 21 दिन । दंड को कम करने का कारण धारण करने वाले, उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश का सुसंगत भाग निम्नानुसार है :

> "5. घटना दिनांक 13.05.1996 को घटित हुई । चक्षुदर्शी साक्षी बाबूलाल असा–2, सावला बाई असा–3, दिनेश असा–4 के कथनों से यह दर्शित होता है कि घटना तत्काल घटित हुई थी । घटना के समय अपीलार्थी 26 वर्ष का एक युवक था । अपीलार्थी स्वयं अपने पिता तुलसीराम को चिकित्सालय लेकर गया । अपीलार्थी दिनांक 20.05.1996 से तीन महीने इक्कीस दिनों की अवधि के लिये जेल में रहा । प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में एवं बीती हुई अवधि

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को जेल में वापस भेजने से कोई फलदायक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः मैं भादवि की धारा 304 भाग II के अधीन अपीलार्थी को दिये गये जेल दंडादेश को अपास्त करता हूं एवं उसके स्थान पर अपीलार्थी को उसके द्वारा पूर्व में भुगती जा चुकी कारावास की अवधि का दंड देता हूं ।"

9. उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी–राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने बड़ा जोर देकर तर्क किया कि उच्च न्यायालय ने बिना किसी स्पष्ट कारण के एवं बिना किसी औचित्य के विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश को परिवर्तित एवं कम किया है । विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि उच्च न्यायालय, प्रत्यर्थी द्वारा कारित किये गये अपराध, जिसके परिणामस्वरुप उसके पिता की मृत्यु हुई, की प्रकृति एवं गम्भीरता का मूल्यांकन करने में असफल रहा है एवं **एलिस्टर ऐन्थोनी परैरा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्यः (2012) 2 एससीसी 648** के निर्णय पर विश्वास व्यक्त करते हुए, विचारण न्यायालय के आदेश की पुनर्स्थापना का निवेदन किया, जिसमें इस न्यायालय ने किसी अपराध के लिये दंड के निर्धारण में आनुपातिकता के सिद्धान्त पर पुनः बल दिया है । इसके विपरीत, प्रत्यर्थी–अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का इस निवेदन के साथ समर्थन किया है कि इससे न्याय के उद्देश्यों

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

की पूर्ति होती है, विषेशकर तब, जब प्रत्यर्थी प्रश्नगत उस घटना के समय मात्र 26 वर्ष की आयु का था जो कि तत्काल एवं अपने पिता की हत्या कारित करने के उसके किसी आशय के बिना घटित हुई। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि उच्च न्यायालय ने सभी सुसंगत कारकों के उचित विचारण के पश्चात् अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए दंड को पूर्व में भुगती जा चुकी अवधि तक कम किया है; एवं **जिन्नत मियॉ विरुद्ध असम राज्यः (1998) 9 एससीसी 319** में पारित इस न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए यह तर्क किया कि इस मामले में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

10. संबंधित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख का लागू होने वाली विधि के संदर्भ सहित परीक्षण किये जाने पर, इस प्रकरण में हमारी यह स्पष्ट राय है कि उच्च न्यायालय ने सुसंगत कारकों एवं दंडादेश देने के शासी सिद्धान्तों की उपेक्षा करते हुए बिल्कुल ही असंगत तर्कों पर विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश में हस्तक्षेप किया तथा उसे कम किया एवं अतः, आक्षेपित आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

11. प्रत्यर्थी को भादवि की धारा 302 एवं 201 के अधीन अपराध के लिये विचारित किया गया था । अभिलेख के साक्ष्यों से यह स्पष्ट रुप से स्थापित था कि

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

प्रत्यर्थी प्रश्नगत घातक चोट का कर्ता था । प्रत्यर्थी के कृत्य की प्रकृति एवं आनुषंगिक परिस्थितियों के संदर्भ में विचारण न्यायालय ने उसे भादवि की धारा 304 भाग II के अधीन उसे हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के लिये दोषसिद्ध किया एवं उसे भादवि की धारा 201 के अधीन अपराध के लिये छोड़ दिया क्योंकि उसे मुख्य अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जा चुका था । विचारण न्यायालय के आदेश के इस भाग को जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली है तथा जिसे यहॉ तक कि इस अपील में भी चुनौती नहीं दी गई है, हम केवल दोषसिद्धि के मामले को छोड़ते हैं । यद्यपि, यह प्रश्न अब भी है कि क्या प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियॉ एक साथ ऐसी उदारता को न्यायसंगत दर्शाती हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये 3 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास के दंड को 3 माह एवं 21 दिनों तक कम किया जाये ? हमारी दृष्टि में इस प्रश्न का उत्तर केवल नकारात्मक ही हो सकता है ।

12. भादवि की धारा 304 भाग I के अधीन दंडनीय अपराध से संबंधित **मध्यप्रदेश राज्य विरुद्ध घनश्याम : (2003) 8 एससीसी 13** के प्रकरण में, इस न्यायालय ने 2 वर्ष की अवधि के लिये दंड देने को अपर्याप्त पाया एवं उदार दृष्टिकोण पर भी 6 वर्ष के कारावास की सजा को न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करना पाया । इस न्यायालय ने सदोषता के अनुरुप दायित्व निर्धारण करने में

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

आनुपातिकता के सिद्धान्त पर बल दिया है; और दंड देने के सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाते हुए सावधान रहा कि अपर्याप्त दंड देने में अनुचित सहानुभूति न्याय व्यवस्था को और अधिक नुकसान पहुचाएगी एवं विधि की प्रभावोत्पादकता में लोक आस्था को क्षीण करेगी । अन्य बातों के साथ साथ इस न्यायालय ने निम्नानुसार समीक्षा की :

"12. अतः, अपर्याप्त दंड देने में अनुचित सहानुभूति न्याय व्यवस्था को और अधिक नुकसान पहुचाएगी एवं विधि की प्रभावोत्पादकता में लोक आस्था को क्षीण करेगी एवं समाज इसे ऐसे गम्भीर खतरों के अधीन लम्बे समय तक नहीं सह सकता । अतः प्रत्येक न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति एवं उसके तरीके जिससे वह निष्पादित अथवा कारित इत्यादि किया गया था, को ध्यान में रखते हुए उचित दंड दे । इस न्यायालय द्वारा यह स्थिति सेवक पेरुमल विरुद्ध तमिलनाडु राज्य : (1991) 3 एससीसी 471 के प्रकरण में स्पष्ट रुप से बतायी गई थी ।

13. प्रत्येक प्रकार के आपराधिक आचरण के दोष के अनुसार दायित्व का निर्धारण करने में दांडिक विधि आनुपातिकता के सिद्धान्त का पालन करती है । यह साधारणतः प्रत्येक प्रकरण में दंड निश्चित करने

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

में न्यायाधीश को कुछ महत्वपूर्ण विवेकाधिकार अनुमित करता है, संभाव्यतः प्रत्येक प्रकरण के विशेष तथ्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये दंड की अपेक्षा दोष का और अधिक सूक्ष्म प्रतिफल प्रतिबिंबित करने की अनुमति देता है । सारतः, न्यायाधीश, इस बात की पुष्टि करते हैं कि दंड को सदा अपराध के अनुरुप होना चाहिये; फिर भी व्यवहार में दंड को व्यापक रुप से अन्य विचारों के द्वारा निर्धारित किया जाता है । कभी कभी यह अपराधी की सुधारात्मक आवश्यकताएं होती हैं जो एक दंड को सही ठहराने के लिए दी जाती हैं, कभी–कभी उसे प्रचलन से बाहर रखने की वांछनीयता, और कभी–कभी उसके अपराध के दुखद परिणाम भी । अनिवार्यतः, ये विचार सजा के आधार से प्रस्थान का कारण बनते हैं एवं स्पष्ट अन्याय के मामले सृजित करते हैं जो गंभीर और व्यापक हैं ।

14. अपराध एवं दंड के मध्य अनुपात एक सैद्धांतिक लक्ष्य है, और भटकाने वाली धारणाओं के बावजूद, दंड के निर्धारण में इसका व्रीव रुप से प्रभाव बना हुआ है । सभी गंभीर अपराधों में समान गंभीरता से दंडित करने की परंपरा अब सभ्य समाजों में अज्ञात है, किंतु आनुपातिकता के सिद्धांत से ऐसा आत्यांतिक प्रस्थान, विधि से केवल वर्तमान समय में ही

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

गायब हुआ है । अब भी एक गंभीर व्यतिक्रम के लिये कठोर दंड दिया जाता है । यदि किसी गंभीर अपराध के लिये सबसे बड़ी गंभीरता के दंड से कम कुछ भी सोचा जाता है तो यह उस सहनशीलता का साधन है जो कि अवांछनीय एवं नासमझी है । किंतु वास्तव में, उन विचारों से अत्यंत भिन्न विचार, जो अपराध के अनुपात से बाहर होने पर सजा को अनुचित बनाते हैं, समान रुप से असंगत सजा के कुछ बहुत ही अवांछनीय व्यवहारिक परिणाम हैं ।

15. किसी अपराध के लिये न्यायसंगत एवं उचित दंडादेश दिये जाने का निर्णय करने हेतु, प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर उचित रुप से विचार करने के पश्चात्, उत्तेजक एवं कम करने वाले कारकों एवं परिस्थितियॉ जिसमें अपराध कारित किया गया है उन्हें न्यायालय द्वारा आवेगहीन तरीके से वास्तविक सुसंगत परिस्थितियों के आधार पर नाजुकता से संतुलित किया जाना है । संतुलन बनाने का ऐसा कार्य वास्तव में एक कठिन कार्य है । डेनिस काउसल मेकगोथा विरुद्ध कैलीफोरनिया राज्यः 402 यूएस 183:28 एल एड 2ड 711 (1071) में अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाया गया है कि ऐसा कोई सुस्पष्ट सूत्र संभव नहीं है जो अनन्त विविधता की ऐसी परिस्थितियों में

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

न्यायसंगत एवं उचित दंड निर्धारित करने में उपयुक्त मापदंड आधार उपलब्ध कराये, जो अपराध की गम्भीरता को प्रभावित करे । किसी ऐसे सुस्पष्ट सूत्र के अभाव में, जो अपराध की गंभीरता के विचार की विभिन्न सार्थक परिस्थितियों तक उचित रुप से पहुंचने के लिये, उपयुक्त मापदंड का कोई आधार उपलब्ध करा सके, प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों में विवेकाधीन निर्णय ही एक मात्र रास्ता है जिसमें ऐसे निर्णय को समान रुप से विवेधित किया जा सकता है ।

17. कई प्रकरणों में सामाजिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के विचार के बिना दिया गया दंड वास्तव में एक व्यर्थ की मेहनत होगी । अपराध का सामाजिक प्रभाव यथा जहॉ वह, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, डकैती, व्यपहरण, लोक धन का दुर्विनियोग, राजद्रोह एवं अन्य अपराधों जिसमें ऐसा नैतिक पतन अथवा नैतिक अपराध शामिल है जिसका सामाजिक व्यवस्था और लोक हित में बड़ा प्रभाव है, से संबंधित है, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वास्तव में अनुकरणीय उपचार की आवश्यकता है । <u>कम दंड अधिरोपित करते हुए कोई उदार रवैया अथवा ऐसे अपराधों के संबंध में मात्र समय बीतने के कारण अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण लम्बे समय में परिणामिक तौर पर विपरीत एवं</u>

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

सामाजिक हित के विरुद्ध होगा, जिसे दंड देने की व्यवस्था में समाहित अवरोध श्रृंखला के द्वारा मजबूत किये जाने और चिंता किये जाने की आवश्यकता है ।

19. रवि विरुद्ध राजस्थान राज्य : (1996) 2 एससीसी 175 में भी समान विचार व्यक्त किये गये हैं । उक्त प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता है ना कि अपराधी की, जो दांडिक विचारण में उपयुक्त दंड के विचार के लिये सार्थक है । न्यायालय अपने कर्त्तव्य में असफल होगा यदि ऐसे अपराध में उचित दंड नहीं दिया जाये जो न केवल किसी एक पीडित व्यक्ति के विरुद्ध बल्कि उस समाज जिससे अपराधी एवं पीडित संबंध रखते हैं, के विरुद्ध कारित किया गया है । किसी अपराध के लिये दिया जाने वाला दंड असंगत नहीं होना चाहिये बल्कि इसे ऐसे अत्याचार एवं उस निर्दयता के अनुरुप एवं संगत होना चाहिये जिससे वह अपराध कारित किया गया है, अपराध की ऐसी दुष्टता जो लोक घृणा का पात्र हो एवं इसे ''अपराधी के विरुद्ध न्याय के लिये समाज की पुकार की प्रतिक्रिया ''...'' करनी चाहिये ।

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

13. एलिस्टर एन्थोनी परेरा (सुपरा) के प्रकरण में अपीलार्थी के विरुद्ध यह आरोप लगे थे कि नशे की हालत में कार चलाते हुए वह फुटपाथ पर चड़ गया एवं 7 लोगों की हत्या एवं 8 को क्षतियॉ कारित की । वह भादवि की धारा 304 भाग II एवं 338 के अपराध के अधीन आरोपित किया गया था; एवं अंततोगत्वा उच्च न्यायालय द्वारा भादवि की धारा 304 भाग II, 338 एवं 337 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था; एवं भादवि की धारा 304 भाग II के अपराध के लिये 3 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 5 लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया था एवं भादवि की धारा 338 एवं 337 के अपराधों के लिये क्रमशः 1 वर्ष एवं 06 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया था । अन्य तर्कों के अलावा इस न्यायालय के समक्ष एक तर्क यह था कि पहले से भुगतान किये गये जुर्माने एवं क्षतिपूर्ति एवं आगे भुगतान करने की सहमति एवं उसकी आयु एवं पारिवारिक परिस्थिति को देखते हुए अपीलार्थी को परीविक्षा पर छोड़ा जा सकता है अथवा दंड को उसके द्वारा पहले से भुगती गई सजा तक कम किया जा सकता है । जहॉ तक दंड में परिवर्तन के लिये इस तर्क का संबंध है, यह न्यायालय दंड विधि के उन सिद्धान्तों से परे गई है जो बहुत से पूर्व के निर्णयों में प्रतिपादित हैं एवं यह अवलोकन करते हुए कि, प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियॉ 'अपराध के अनुपात में दंड की अपेक्षा वाले घृणित भड़काने वाले अपराध' दर्शाती हैं, यह न्यायालय दंड

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

को कम करने हेतु अथवा परिवीक्षा का लाभ के विस्तार की कोई औचित्यता नहीं पाता । दंड के प्रश्न पर इस न्यायालय ने पुनः निम्न प्रकार बल दिया हैः–

''84. अपराध के मामलों में दंड देना एक महत्वपूर्ण कार्य है । आपराधिक विधि के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य, अपराध की प्रकृति व गंभीरता तथा अपराध किए जाने के तरीके के अनुरुप उचित, पर्याप्त, न्यायसंगत एवं आनुपातिक दंड अधिरोपित करना है । अपराध के प्रमाण पर किसी अभियुक्त को दंड देने हेतु कोई सीमित सूत्र नहीं है । न्यायालयों ने कुछ सिद्धान्त विकसित किए हैं : निवारण एवं भूल सुधार, दंड नीति के दो जुडवा उद्देश्य हैं । कौन सा दंड न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है और न्यायालय को अपराध की गंभीरता, अपराध का आशय, अपराध की प्रकृति एवं अन्य सभी अनुषांगिक परिस्थितियों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए ।

85 आपराधिक न्यायशास्त्र में अपराध करने वाले को सजा देने में आनुपातिकता का सिद्धान्त सुस्थापित है । विधि के विषय के रुप में, किसी अपराधी को दिये जाने वाले दंड के निर्धारण में अपराध एवं दंड के मध्य अनुपात का अत्यंत सुसंगत प्रभाव है । उचित दंड देने के

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

लिये न्यायालय को लोकहित एवं समाज की चेतना सहित समस्त पहलुओं पर विचार करना होता है ।

14 अतः, किसी सिद्ध अपराध के प्रकरण में गलत कार्य करने वाले को न्यायसंगत एवं पर्याप्त दंड देना न्यायालय के कर्त्तव्य का एक भाग है । किसी प्रकरण में दिये जाने वाले दंड को अपराध की गंभीरता के एवं सुसंगत तथ्यों एवं आनुषांगिक परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिये । निःसंदेह, यह कार्य, कम करने वाली एवं उत्तेजित करने वाली परिस्थितियों के मध्य नाजुक संतुलन बनाने का है । उसी समय, किसी दिये गये प्रकरण में दंड देने के प्रश्न पर विचार करते समय समाज की सुरक्षा देने के एवं न्याय हेतु समाज की मांग के प्रति प्रतिक्रिया करने के विधि के स्वीकृत उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक है । अंतिम विश्लेषण में, गलत कार्य करने वाले एवं अपराध के पीड़ित व्यक्ति एवं सम्पूर्ण समाज के अधिकारों को संतुलित करते समय अपराध एवं दंड के मध्य अनुपात को बनाये रखना चाहिये । दंड देने का कोई सीमित सूत्र उपलब्ध नहीं है किन्तु मामले का समग्र रुप से विचार किये जाने की आवश्यकता को भुलाना नहीं चाहिये ।

15. दंड देने की प्रक्रिया में, कोई एक घटक, चाहे वो परिस्थितियों को शांत करने वाला हो अथवा उत्तेजित करने वाला, स्वयं में मामले का निर्णायक नहीं हो

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

सकता है । इसी अनुक्रम में, हम अवलोकन कर सकते हैं कि केवल समय का बीतना स्वयं में एक सुस्थापित कारक नहीं हो सकता है यद्यपि, किसी उपयुक्त प्रकरण में अन्य सुसंगत कारकों के साथ इसका कुछ प्रभाव हो सकता है । यह भी कि, जब दोषी की ओर से कोई शांत करने वाली अथवा कम करने वाली परिस्थितियों का सुझाव दिया जाता है, तब अपराध की प्रकृति एवं लोक व्यवस्था पर इसके प्रभाव एवं लोक हित से संबंधित कारकों की अवहेलना नहीं की जा सकती । उपरोक्त सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए, जब वर्तमान मामले का परीक्षण किया जाता है, तो हम ंकि प्रत्यर्थी को भादवि की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध का दोषी पाते हैं । भादवि की धारा 304 निम्नानुसार है :–

''**हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए**

दण्ड – जो कोई ऐसा अपाराधिक मानव वध करेगा, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा;

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना संभव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

17. अतः, जब किसी अभियुक्त को पूर्वोक्त धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जाता हैं, तो उसे उस अवधि के कारावास के दण्ड जो कि 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा जुर्माने, अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है । इस प्रकरण में, विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास का दण्ड दिया जाना चुना था । विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया दण्ड स्वयं में उदारता के प्रति झुकाव था, आवश्यक रुप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रश्नगत घटना के समय प्रत्यर्थी की आयु 26 वर्ष की थी । यद्यपि, आगे उच्च न्यायालय ने इन कारकों को ध्यान में रखते हुए दण्ड को बितायी जा चुकी अवधि तक कम कर दिया (अर्थात, 3 माह एवं 21 दिन) कि (i) कि घटना पल भर में घटित हुई; (ii) कि प्रत्यर्थी घटना के समय 26 वर्ष की आयु का था, एवं; (ii) कि प्रत्यर्थी अपने पिता को स्वयं चिकित्सालय लेकर

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

गया था । इन विचारों पर एवं यह जानने के पश्चात् कि प्रत्यर्थी अभिरक्षा में 3 माह 21 दिन बिता चुका था, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ''अपीलार्थी को जेल में वापस भेजने से कोई फलदायक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा'' । हमारा यह स्पष्ट मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा पहले से ही दिखायी गई उदारता से बढ़कर उच्च न्यायालय द्वारा दिखाई गई अतिरिक्त उदारता पूर्ण रुप से अनावश्यक थी ।

18. जहॉ तक उच्च न्यायालय द्वारा विचार मे लिये गये कम करने वाले कारकों का संबंध है, यह ध्यातव्य है कि विचारण न्यायालय पूर्व से ही उन पर विचार कर चुकी थी जब उसने उस अपराध के लिये तुलनात्मक रुप से 3 वर्ष के कारावास की सजा दी थी, जो उस अवधि के कारावास के दण्ड से जो कि 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा जुर्माने, अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। वास्तव में, प्रत्यर्थी को भादवि की धारा 304 भाग II के अधीन हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के अपराध के लिये दोषसिद्ध करने का मूल कारण घटना का तत्काल घटित होने वाला कारक था, जबकि उसे भादवि की धारा 302 के अधीन हत्या के अपराध के लिये आरोपित किया गया था । इस कारक के कारण केवल प्रतीकात्मक सजा नहीं दी जा सकती थी । फिर, यह कारक कि प्रत्यर्थी 26 वर्ष की आयु का था, तुलनात्मक रुप से कम 3 वर्ष के

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

दण्ड देने का मूल कारण रहा था । इस कारक में प्रेरित करने वाली ऐसी कोई विशेषताएँ नहीं हैं जो विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड को आगे और कम करने को न्यायोचित ठहरा सके । और यही नहीं, प्रत्यर्थी द्वारा स्वयं अपने पिता को चिकित्सालय लेकर जाने वाला तीसरा कारक, प्रत्यर्थी के दिखावे एवं धोखे के तत्वों को वहन करता है, विशेष रुप से तब जब उसने असत्य कथन किया कि पीड़ित को गिरने के कारण चोट आयी । अतः, उपरोक्त उल्लेखित कारकों के कारण विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को आगे और कम नहीं किया जा सकता था ।

19. न्यायोचित एवं पर्याप्त दण्ड देने के प्रश्न पर विचार करने के दौरान, उच्च न्यायालय द्वारा, कम करने वाले एवं उत्तेजित करने वाले कारकों में संतुलन बनाने की आवश्यकता पर विचार करने का लोप करना प्रकट होता है । इस प्रकरण के तथ्य एवं आस पास के कारक यह स्पष्ट करते हैं कि, प्रश्नगत आपराधिक कृत्य प्रत्यर्थी द्वारा अपने पिता पर बोथरी वस्तु से प्रहार करना था, जो पीड़ित के कपाल के पार्श्व भाग में अस्थिभंग के रुप में परिणत हुआ । फिर, प्रत्यर्थी ने अपने पिता को चिकित्सालय ले जाकर एवं यह सुझाव देते हुए कि मानो पीड़ित को छत से गिर जाने के कारण चोट पहुंची है, अपराध को छिपाने का प्रयास किया । अतः, प्रत्यर्थी के कार्य एवं कर्म उसके स्वयं के पिता को

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

मारने, और फिर झूठी सूचना देने का था । प्रत्यर्थी का मानववध का कृत्य वास्तव में पिता का वध; अपने स्वयं के पिता को मारना था । ऐसे प्रकरण में, दण्ड के प्रश्न पर और अधिक उदारता की कोई गुंजाइश नहीं थी, जो विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में ही दिखाई जा चुकी थी; और उच्च न्यायालय द्वारा दण्ड को 4 माह से कम की अत्यंत अपर्याप्त अवधि तक कम करना उचित नहीं था । उच्च न्यायालय का यह विचार कि अभियुक्त के निरोध से कोई फलदायक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, का इस प्रकरण में इस कारण अनुमोदन नहीं किया जा सकता कि अवरोध एवं समाज की सुरक्षा के लक्ष्य मात्र समय व्यतीत होने से लुप्त नहीं हो जाते ।

20. दिये गये तथ्यों एवं परिस्थितियों के समूह में, किसी अपील में सम्पूर्ण मामले का पुर्नर्विलोकन करने की उच्च न्यायालय की शक्तियों एवं अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुॅचना अथवा अपवादित प्रकरणों के सिवाय तथ्यों के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने का अभ्यास, जैसा कि *जिन्नत मियॉ (उपर)* में पाया गया है, वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होगा, विशेषकर जब हम पाते है कि उच्च न्यायालय ने विधि में त्रुटि की है एवं सुसंगत विचारों को नजरअंदाज करते हुए दण्ड को अत्यंत अपर्याप्त स्तर तक कम करने में न्यायसंगत नहीं रहा है ।

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

21. सारांश में, इस प्रकरण के समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्, हमारा यह मानना है कि उच्च न्यायालय ने भादवि की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिये पहले से ही भुगती हुई अवधि अर्थात 3 माह एवं 21 दिनों के सश्रम कारावास की सजा देने में एवं अनुचित सहानुभूति का विस्तार करने में त्रुटि की है । हमारे मत में, उच्च न्यायालय के पास, विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये 3 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं था ।

22. ऊपर की गई चर्चा से, यह अपील सफल होती है एवं स्वीकार की जाती है; उच्च न्यायालय का आक्षिप्त निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.11.2012 अपास्त किया जाता है एवं विचारण न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.01.1998 को पुनःस्थापित किया जाता है। प्रत्यर्थी आज से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष समर्पण करेगा और बची हुई सजा को भुगतेगा । उपरोक्त अवधि के भीतर उसके द्वारा समर्पण करने में असफल होने की दशा में, विचारण न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक उपाय करेगा कि वह बचा हुआ दण्ड भुगते, निःसंदेह, उसके द्वारा पूर्व में ही भुगती जा चुकी अवधि के उचित समायोजन के पश्चात् ।

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे .....

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी .....

नई दिल्ली

दिनांकः 20 फरवरी, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर) :स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।